(54)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक १९.११.९४ को सम्पन्न हुई वर्ष प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक १९. ११.९४ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

१-	सर्वश्री बृजेन्द्र सहाय अध्यक्ष/मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।	अध्यक्ष
२-	श्री रविन्द्र शंकर माथुर प्रमुख सचिव, सर्वजनिक उद्यम ब्यूरो, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ०प्र०शासन।	सदस्य
३-	श्री बाबू राम, आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
४-	श्री विजय शर्मा, सचिव आवास उ०प्र०शासन।	सदस्य
५-	सुश्री आराधना जौहरी, विशेष सचिव वित्त, उ०प्र०शासन(प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य
६-	श्री यू०एस०दास गुप्ता मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक	सदस्य
७-	श्री एस०के० वर्मा मुख्य अभियन्ता उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
८-	श्री आशुतोष त्रिपाठी, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के प्रतिनिधि	सदस्य
९-	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव

विशेष आमंत्री के रूप में:-

१- श्री ए०के० पचौरी, मुख्य वास्तुविद् नियोजक।

२- श्री आर०एस० दोहरे, वित्त नियन्त्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी।

बैठक में विचार विमर्श के पश्चात निम्नवत् पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
१-	परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक२७.९.९३ कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(१)/९४	पुष्टि की गयी।
२-	परिषद की दिनांक २७.९.९३ की अनुपालन	प्रथम/(२)/९४	अवलोकित की गई।
३-	रूफ्रीगिंग के संबंध में।	प्रथम/(३)/९४	अवलोकित की गई।
४-	हडको वित्त पोषित ०२ परियोजनाओं में स्वीकृत ऋण रू० ५३.५० लाख की सामान्य शर्तो के संबंध में।	प्रथम/(४)/९४	अवलोकित की गई।
५-	हडको वित्त पोषित०८ योजनाओं में स्वीकृत ऋण ८६९.६१ लाख की सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में।	प्रथम/(५)/९४	अवलोकित की गई।

...२/-

१	२	३	४
६-	परिषद द्वारा संचालित ०२ भूमि अर्जन योजनाओं में हडको से ऋण प्राप्ति करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(६)/९४	अवलोकित की गई।
७-	तेलीबाग योजना संख्या-२ लखनऊ की भूमि अर्जित करने हेतु हडको से ऋण प्राप्ति करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(७) /९४	अवलोकित की गई।
८-	हडको वित्त पोषित तीन योजनाओं में स्वीकृत ऋण रू० २१४.९६ लाख सामान्य शर्तो के सम्बन्ध में।	प्रथम/(८)/९४	अवलोकित की गई।
९-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-२५ में शेरउड एकाडमी को शिक्षण संस्था हेतु भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(९)/९४	अवलोकित की गई।
१०-	माननीय विधायक श्री अशोक बाजपेई भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को आवंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या-१०/१४ के मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१०)/९४	अवलोकित की गई।
११-	बहदरा मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-१, रानीपुर के फेज-४ के अन्तर्गत विकास कार्यो के सम्पादन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(११)/९४	अवलोकि की गई।
१२-	परिषद की महोली योजना संख्या-१, मथुरा के फेज-२ के विकास कार्यो के सम्पादन हेतु प्रशासकी एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१२ऋ/९४	अवलोकित की गई।
१३-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-१३ में स्ववं वित्त प्रोषित योजना ९३सी के अन्तर्गत(१०८/१५०) प्रकार सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१३)/९४	अवलोकित की गई।
१४-	लोहिया नगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत ट्रक जलापूर्ति कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१४)/९४	अवलोकित की गई।
१५-	विकास नगर(विस्तार) योजना लखनऊ के प्रथम भाग में सडको के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१५)/९४	अवलोकित की गई।
१६-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के से०-१६बी में प्रस्तावित २० नग दुकानें एवं एक नग हाल के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१६)/९४	अवलोकित की गई।

....३/-

१	२	३	४
१७-लोहिया नगर विस्तार लखनऊ के विकास कार्यो के अन्तर्गत सामान्य मिट्टी के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१७)/९४		अवलोकित की गई।
१८-लोहिया नगर विस्तार योजना लखनऊ के विकास कार्यो के अन्तर्गत लोहिया पार्क व अन्य पार्को की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	प्रथम/(१८)/९४		अवलोकित की गई।
१९-मैनपुरी योजना संख्या-१ मैनपुरी में २०सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ५० नग दुर्वल आय वर्ग सेमी फिनिश्ड १८/४० प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(१९)/९४		अवलोकित की गई।
२०-उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का वर्ष १९९३-९४ का पुनरीक्षित एवं वर्ष १९९४-९५ का अनुमानित आय-व्ययक।	प्रथम/(२०)/९४		अनुमानिक आय-व्ययक अनुमोदित किया गया डिपाजिट कार्यो हेतु राजस्व विभाग संबंधित बजट को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सचिव पत्र लिखने के आदेश दिये गये।
२१-वर्ष १९९०-९१ की बैलेन्स सीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रथम/(२१)/९४		अनुमोदित किया गया।
२२-वर्ष १९९१-९२ की बैलेन्स सीट के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रथम/(२२)/९४		अनुमोदित किया गया।
२३-उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के अधि०/कर्म० को किराये पद्धति पर परिषद की योजनाओं में भवन आवंटित किये जाने की शर्तो एवं प्रतिबन्धों के संशोधन के संबंध में।	प्रथम/(२३)/९४		अनुमोदित किया गया।
२४-यू०पी०पब्लिक अन्डरटेकिंग स्पोटस कन्ट्रोल बोर्ड को वार्षिक चन्दा दिये जाने के संबंध में।	प्रथम/(२४)/९४		अनुमोदित किया गया।
२५-परिषद की योजनाओं में निर्मित दुर्वल आय वर्ग भवनों के निस्तारण हेतु कुछ अतिरिक्त सुविधायें दिये जाने के संबंध में।	प्रथम/(२५)/९४		अनुमोदित किया गया।
२७-परिषद अधि०/कर्म० को चिकित्सा हेतु अनुदान/ऋण स्वीकृत करने के संबंध में।	प्रथम/(२७)/९४		संदर्भित प्रकरण में निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया। सामान्य दिशा निर्देश जारी करने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग को निर्देशित किया गया।
२८-उ०प्र०शासन के अनुरूप परिषद के विभिन्न सेवा संवर्गो हेतु नयी स्थायीकरण नीति।	प्रथम/(२८)/९४		सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्ताव संदर्भित करने हेतु निर्देशित किया गया।
२९-श्री एस०पी० आर्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त के व्दारा सीमेन्ट की ४०,०००/- खाली बोरियों के विक्रय में बरती गयी अनियमितता के फलस्वरूप आदेश सं०-४६०४/सतर्कता २३/८९ (१००३०)दि०१२.११.९२ के व्दारा दिये गये दण्डों के विरूद्ध श्री आर्य के प्रत्यावेदन पर विचार करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(२९)/९४		निर्णय लेने के लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया यह भी निर्देश दिये गये कि परिषद को लिये गये निर्णय से अवगत कराया जाय।

....४/-

१	२	३	४
३०-	आवासिकी क्षेत्र के आवासीय मानचित्रकों की स्वीकृति अवधि बढ़ाने के संबंध में	प्रथम/(३०)/९४	आवास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
३१-	भवन मानचित्र स्वीकृति अनुज्ञान के पुनरीक्षण के संबंध में।	प्रथम/(३१)/९४	अनुमोदित किया गया।
३२-	परिषद योजना में स्थित आवासीय भूखण्डों में बेसमेन्ट के साथ-साथ तीन मंजिले भवन अनुमन्य करना।	प्रथम/(३२)/९४	मास्टर प्लान से आच्छादित योजनाओं में मास्टर प्लान से अधीन प्रस्ताव स्वीकृति। जहाँ मास्टर प्लान नहीं बने हैं वहाँ के लिये अनुमोदित।
३३-	रू० १०० लाख तक की लागत के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अधिकार आवास आयुक्त को दिये जाने के प्रस्ताव।	प्रथम/(३३)/९४	अगली बैटक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
३४-	परिषद की देहरादून स्थित राजपुर योजना सं०-२ को समाप्त किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(३४)/९४	सचिव आवास, आवास आयुक्त और मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक की समिति को प्रस्ताव का परीक्षण करके निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
३५-	परिषद की गाजियाबाद योजना संख्या-३ में समाविष्ट सर्वश्री दयानन्द आर्य की भूमि से विकास शुल्क के स्थान पर परिषद अधिनियम की धारा-५० के अन्तर्गत असुधार शुल्क लेने के संबंध में।	प्रथम/(३५)/९४	सचिव आवास, आवास आयुक्त और मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक की समिति को प्रस्ताव का परीक्षण करकके निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
३६-	हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना बलिया में समाविष्ट श्री दुर्गा प्रसाद सेठ आदि की विवादित भूमि खसरा नं०-६९ के संबंध में।	प्रथम/(३६)/९४	सचिव आवास, आवास आयुक्त और मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक की समिति को प्रस्ताव का परीक्षण करके निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
३७-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के ग्राम समीऊद्दीपुर में परिषद व्दारा अधिग्रहित की गई श्री सतेन्द्र जीत सिंह की भूमि के संबंध में।	प्रथम/(३७)/९४	सचिव आवास, आवास आयुक्त और मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक की समिति को प्रस्ताव का परीक्षण करके निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाय।
३८-	परिषद के भूमि अध्याप्ति संदर्भवादों हेतु टिब्यूनल गठित करने के सम्वन्ध में।	प्रथम/(३८)/९४	——तदैव——
३९-	खुर्जा पहासू मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-२ खुर्जा जिला बुलन्दशहर काश्तकारों के समझौता प्रस्ताव पर स्वीकृति बिषयक।	प्रथम/(३९)/९४	——तदैव——
४०-	परिषद में भूमि अध्याप्ति पर डिक्रीटल की समस्या के संबंध में टिप्पणी।	प्रथम/(४०)/९४	——तदैव——
४१-	पाण्डेयपुर योजना वाराणसी में स्वयं वित्त पोषित परियोजना ९४-ए के अन्तर्गत ५-एस ९३/१६२ प्रकार के ५ नग फिनिश्ड एवं ५५ नग सेमी फिनिश्ड भवनों के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने केसंबंध में।	प्रथम/(४१)/९४	अनुमोदित किया गया।

....५/-

१	२	३	४
४२-	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के से०-९ में स्वयं वित्त पोषित ९४ए परियोजना के अन्तर्गत इएस ६२/११३ प्रकार के १३ नग फिनिश्ड तथा ३७ नग सेमी फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के संबंध में।	प्रथम/(४२)/९४	अनुमोदित किया गया।
४३-	वसुन्धरा योजना सं०-३ गाजियाबाद के से०-१३ में स्ववं वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत डब्लू-१/७५ आर प्रकार के १०६ फिनिश्ड एवं डब्लू-१/७७ आर प्रकार के ४५ नग फिनिश्ड भवनों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत करने के संबंध में।	प्रथम/(४३)/९४	अनुमोदित किया गया।
४४-	नगद पर प्रदिष्ट सम्पत्ति हेतु ऋण की धनराशि प्राप्त करने में होने वाले बिलम्ब अवधि में तीन माह के दण्ड व्याज की छूट के संबंध में।	प्रथम/(४४)/९४	स्थगित किया गया।
४५-	परिषद की अंगूरीबाग योजना फैजाबाद में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-१४९ श्री जय शंकर पाण्डेय पूर्व विधायक को आवंटित करने के संबंध में।	प्रथम/(४५)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गय
४६-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन संख्या १२/५८९ आवंटन/नीलामी के संबंध में।	प्रथम/(४६)/९४	————तदैव————
४७-	सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(४७)/९४	सचिव आवास और आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
४८-	परिषद की विरौजीलाल कन्या विद्यालय अलीगढ में श्रीमती आयशा बेगम को प्रदिष्ट मध्यम आय वर्ग भवन सं०-१०/१ के संबंध में।	प्रथम/(४८)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
४९-	परिषद की सहारनपुर योजना के स्टाफ क्वाटर के रूप में आरक्षित मध्यम आय वर्ग भवन सं०-९५ के आवंटन के संबंध में।	प्रथम/(४९)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
५०-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-१५ में श्री निहाल रिजवी मेमोरियल एण्ड एजूकेशन सोसाइटी व्दारा संचालित डेविल पब्लिक स्कूल को भूमि आवंटित करने के संबंध में।	प्रथम/(५०)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
५१-	परिषद की गंगा बिहार योजना रूड़की के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर के रूप में आरक्षित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-२४ को श्री मनोहर सिंह मा० विधायक के पक्ष में आवंटित किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(५१)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
५२-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में मध्यम आय वर्ग भवन सं०- इ- ११४१ एवं सी-सी-१२०६ के आवंटन के संबंध में।	प्रथम/(५२)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
५३-	परिषद की फर्रुखाबाद योजना में समाजवादी पार्टी के कार्यालय हेतु मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-१/२ व १/३ के आवंटन के संबंध में।	प्रथम/(५३)/९४	अनुमोदित।

१	२	३	४
५४-	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में अल्प आय वर्ग भवन सं०-१९/८५४ के विरूद्ध दण्डब्याज माफ करने के संबंध में।	प्रथम/(५४)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
५५-	परिषद योजना में आवंटित सम्पत्तियों के कब्जा आवंटित व्दारा न लिये जाने पर विलम्ब शुल्क/रखरखाव शुल्क की वृत्ति के संबंध में।	प्रथम/(५५)/९४	अनुमोदित।
५६-	भूतपूर्व विधायक श्री ओम प्रकार दिवाकर को फिरोजाबाद की सुहागनगर योजना में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-२/४४९ को नकद क्रय पद्धित के विरूद्ध देय अवशेष धनराशि बिना विकल्प परिवर्तन शुल्क लिये वर्तमान में मासिक किश्तों में किये जाने एवं सम्पूर्ण दण्ड ब्याज माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(५६)९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया किया गया।
५७-	सुहागनगर योजना फिरोजाबाद में श्रीमती रामवेटी पत्नी स्व० श्री मोती को नकद क्रय पद्धति पर आवंटित अल्प आय वर्ग भवन संख्या-१/५०७ के विरूद्ध देय अवशेष धनराशि बिना विकल्प परिवर्तन शुल्क लिये पूर्ण धनराशि किश्तों में किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(५७)/९४	आवास आयुक्त को निर्णय लेकर परिषद को १५ दिन में अवगत कराने हेतु अधिकृत किया गया।
५८-	परिषद के कार्यो को कम्प्यूटर के माध्यम सम्पादित कराने हेतु कम्प्यूटर आपरेटर के पदों के सृजन के संबंध में।	प्रथम/(५८)/९४	कम्प्यूटर आपरेटर के पद के सृजन का प्रस्ताव अस्वीकृत किया परन्तु कम्प्यूटर का कार्य कर रहे व्यक्तियों को अतिरिक्त धनराशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया। यह धनराशि आवास आयुक्त व्दारा निर्णित की जायेगी।
५९-	दफ्तरी पदधारकों को सेलेक्शन ग्रेड १५ वर्ष के स्थान पर १० वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिया जाय।	प्रथम/(५९)/९४	अनुमोदित।
६०-	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में।	प्रथम/(६०)/९४	आरक्षित वर्ग का कोटा पूरा किया जाय। विनियमितीकरण सम्भव नहीं है रिक्त पदों के विरूद्ध आरक्षित वर्ग का कोटा पूर्ण करने हेतु वर्तमान में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से ही की जाय।
६१-	स्थायी भण्डारकों, अभिलेखपाल एवं पुस्तकालाध्यक्षों, अनुवादकों, मुख्य लिपिकों तथा सहा०श्रे०-प्रथम वेतनमान रू० १३५०-२२०० से मुख्य सहायक/कार्यालय अधीक्षक वेतनमान रू० १४००-२६०० के पद पर प्रोन्नति हेतु ३ वर्ष की सेवावधि करने हेतु नियमावली में संशोधन।	प्रथम/(६१)/९४	स्थगित किया गया।
६२-	वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(६२)/९४	अनुमोदित।

...२/-

१	२	३	४
६३-	लाइनोटाइप/मोनोटाइप ऑपरेटर के वेतनमान रू० ९५०-१५०० दिये जाने के संबंध में।	प्रथम/(६३)/९४	प्रस्ताव वापस लिया गया।
६४-	आशुलिपिक ग्रेड-२ वेतनमान रू० १४००-२६०० के दो पद निजी सचिव ग्रेड-२ वेतनमान रू० १६४०-२९०० में उच्चीकृत करने के संबंध में।	प्रथम/(६४)/९४	प्रशासनिक विभाग को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
६५-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अभियन्ता की सेवा अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें विनियम-१९७७ में संशोधन किये जाने हेतु।	प्रथम/(६५)/९४	अनुमोदित।
६६-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अभियन्ता की १९७७ में संशोधन किये जाने हेतु।	प्रथम/(६६) /९४	अनुमोदित।
६७-	परिषद की सहायक श्रेणी-द्वितीय के पद पर सीधी भर्ती का प्राविधान समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(६७)/९४	प्रशासनिक विभाग को संदर्भित करने के निर्देश दिये गये।
६८-	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद लिपिक सेवा विनियम-१९८९ के नियम-५(ख) में संशोधन के संबंध में।	प्रथम/(६८)/९४	——तदैव——
६९-	परिषद के डिप्लोमा होल्डर, मस्टर रोल दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के दैनिक दरों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(६९)/९४	आवास सचिव और आवास आयुक्त को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया।
७०-	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन दरों में वृद्धि के संबंध में।	प्रथम/(७०)/९४	——तदैव——
७१-	परिषद के विभिन्न सेवा संवर्गों/पदों से १० वर्ष की संतोषजनक सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड/उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में एक वेतनवृद्धि की स्वीकृति हेतु शासनादेशों के अनुरूप एकरूपता स्थापित किये जाने हेतु मानक निर्धारण के संबंध में।	प्रथम/(७१)/९४	अनुमोदित
७२-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान रू० ८७०-१०५२ को कार्य प्रभारित कर्मचारियों की भांति वेतनमान रू० ९५०-१५०० किये जाने के संबंध में।	प्रथम/(७२)/९४	प्रशासनिक विभाग को संदर्भित करने हेतु निर्देश दिये गये।

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष
21/2/95

आवास आयुक्त
21/2/95